राजकीय महाविद्यालय, पौखाल, टिहरी गढ़वाल

Website: - gdcpaukhal.ac.in Email. gdcpaukhal.info@gmail.com Contact: 9897605298
FB ID:- www.facebook.com/gdcPaukhalTehri FaceBook Page:- https://www.facebook.com/GdcPaukhal/

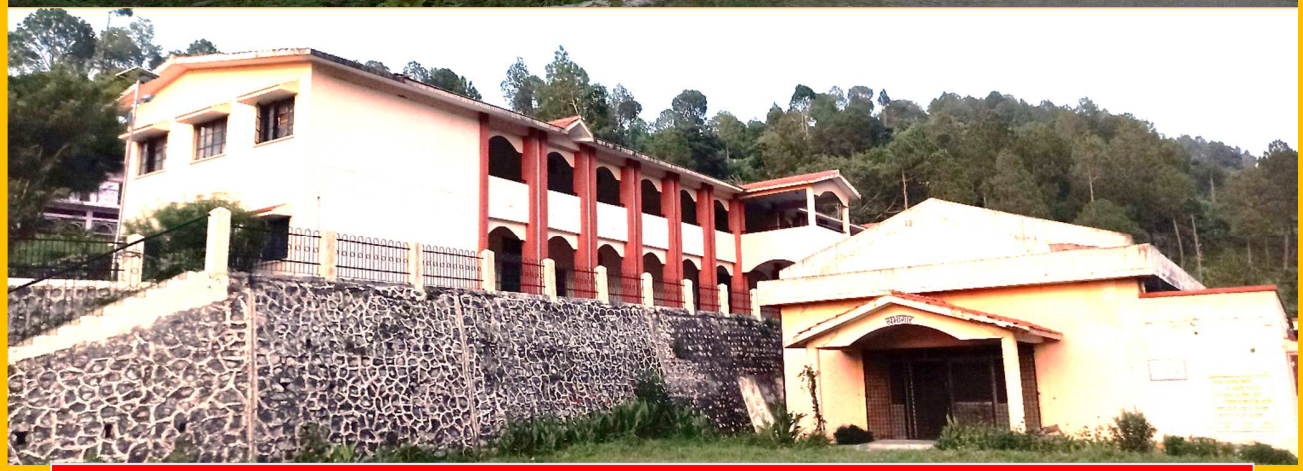

Prospectus
प्रवेशार्थी निर्देशिका

प्रविवरण
वर्ष 2022–2023

GOVT. DEGREE COLLEGE PAUKHAL

DISTRICT - TEHRI GARHWAL

(AFFILIATED BY SRIDEV SUMAN UTTARAKHAND UNVERSITY)

राजकीय महाविद्यालय पौखाल

जनपद– टिहरी गढ़वाल

(श्रीदेव समन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से संबद्धता)

Website: - gdcpaukhal.ac.in

Email. **gdcpaukhal.info@gmail.com** Contact: 9897605298

सत्र .....2022–..2023..... दिनांक :.....

।। आवश्यक सूचना।।

महाविद्यालय में सत्र .....**2022–.2023**... के बी0ए0, प्रथम वर्ष या सेमेस्टर प्रवेश लेने वाले समस्त छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में दिनांक ....**11 जुलाई 2022**...से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है।

1. प्रवेश आवेदन पत्र दिनांक...**11 जुलाई 2022**...से प्रारम्भ
2. प्रवेश आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि : दिनांक....16 अगस्त 2022....तक
3. साक्षात्कार हेतु प्रवेश समिति के सम्मुख उपस्थित होने की तिथि

दिनांक ...27 ⁄ 07 ⁄ 22...से...28 ⁄ 07 ⁄ 2022 तक (प्रथम चरण में)

अतः प्रवेश लेने के इच्छुक समस्त प्रवेशार्थी उपरोक्त तिथियों के अनुसार प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त कर लें अथवा राजकीय महाविद्यालय की आधिकारिक वैबसाईट में जाकर फार्म डाउनलोड करें। प्रवेश हेतु विवरणिका को भली–भांति पढ़कर प्रवेश आवेदन पत्र पूरी तरह भरते हुए समस्त संलग्नकों सहित कार्यालय में जमा कर दें।

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय पौखाल
टिहरी गढ़वाल।

राजकीय महाविद्यालय, पौखाल, टिहरी गढ़वाल

महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

उत्तराखण्ड में स्थित चार सिद्धपीठों में एक सिद्धपीठ माँ भगवती चन्द्रबदनी के चन्द्रकूट पर्वत के सन्निकट भद्रेश्वर महादेव के चरणों में अखोडीसैंण वन राजि की सुरम्य पर्वत माला के मध्य टिहरी जनपद मुख्यालय के विकासखण्ड भिलंगना के अर्न्तगत जिला पंचायत क्षेत्र पड़ागली ग्राम काण्डी तथा मोलनो में चीड़ व देवदार के घने वन के मध्य विद्यमान है "राजकीय महाविद्यालय पौखाल"। यह महाविद्यालय समुद्रतल से लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महाविद्यालय, उत्तराखण्ड राज्य में टिहरी गढ़वाल जनपद के भिलंगना तथा टिहरी विकासखण्ड के अर्न्तगत आता है। शहरों के कोलाहल, शोर–शराबा तथा प्रदूषण से मुक्त, प्रदूषण रहित, स्वास्थ्यवर्द्धक , प्रकृति की गोद में शांत एवं शीतल वातावरण होने के परिणामस्वरूप विद्यार्जन के लिए सर्वस्व अनुकूल है। यह भू–भाग घने चीड एवं देवदार के जंगलों से आच्छादित होने के कारण यहॉ का मौसम पूरे वर्षभर सुहावना रहता है।

महाविद्यालय नई टिहरी से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी–घनसाली मार्ग से होते हुए गडोलिया–जाखधार नामक स्थान हैं उक्त स्टेशन से लगभग 02 किलोमीटर टिहरी–श्रीनगर मार्ग में ग्राम काण्डी मोलनों में महाविद्यालय स्थिति है। वहीं श्रीनगर से लगभग 40 किलोमीटर श्रीनगर–मलेथा–टिहरी राज्यमार्ग में स्थित पौखाल बाजार से मात्र 03 किलोमीटर की दूरी तय करके भी महाविद्यालय पहुॅचा जा सकता है। यह महाविद्यालय चारों ओर से बाँज, चीड एवं देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ एक रमणीक स्थल है। उच्च शिखर पर स्थित होने के कारण यहां से टिहरी मुख्यालय सामने बहुत ही निकट दिखाई देता है तथा महाविद्यालय से टिहरी झील का सुन्दर दृश्य सदैव मन को शीतलता प्रदान करता रहता है। टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के द्वारा निर्मित टिहरी बांध जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जलविद्युत बाधं है, के भिलंगना नदी के सर्पिन जलाशय के पास लगभग 1 हैक्टेयर समतल भूमि पर कॉलेज का निर्माण टीएचडीसी लिमिटेड की सामाजिक कल्याण और पुनर्वास योजना के तहत उत्तराखण्ड राज्य सरकार के सहयोग से किया गया । टीएचडीसी लिमिटेड द्वारा निर्मित इस महाविद्यालय के तीन ब्लॉकों के साथ – प्रशासनिक ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक और आवासीय ब्लॉक, तथा सभागाार सहित अपनी भव्य इमारत है।

महाविद्यालय के सम्बन्धित सूचनायें

1. महाविद्यालय का नाम एवं पत्राचार का पता – राजकीय महाविद्यालय पौखाल टिहरी गढवाल
2. (1) स्थापना का दिनांक – 2002
   (2) प्रथम शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने का वर्ष– 2004–05
3. राजाज्ञा सं0 एवं दिनांक – 2771/गा0रा0वि0 दि0 10.08.2001
4. दूरभाष सं0(कोड सहित) – कार्यालय – (Office –Land line) – नहीं है।
   कार्यालय प्रभारी
   (नाम एवं मोबाइल नं0)– श्री मनोज राणा (पुस्त0 सहा0) 9897605298
   प्राचार्य आवास–(Residence –Land line) – नही है।
   फैक्स सं0 – नही हैं।
5. ई– मेल आई डी महाविद्यालय – gdcpaukhal.info@gmail.com
6. वैब साइट एड्रेस – **gdcpaukhal.ac.in**
7. (1) निदेशालय से महाविद्यालय की दूरी – 350 किमी लगभग
   (2) मार्ग मे पड़ने वाले मुख्य स्टेशन/स्थान – हरिद्वार, नरेन्द्रनगर, चम्बा
8. महाविद्यालय से सड़क की दूरी – 300 मीटर
   (1) महाविद्यालय किस राज्यमार्ग (State Highway) – नई टिहरी–श्रीनगर राजमार्ग
   पर स्थित है
   (2) राज्यमार्ग (State High way) से महाविद्यालय की दूरी – 300 mtr
9. महाविद्यालय से निकटतम रेलवे स्टेशन नाम : ऋषिकेश, दूरी :120 किमी
10. विकास खण्ड का नाम– भिलंगना विकास खण्ड से दूरी – 25 किमी
11. तहसील का नाम – घनसाली तहसील से दूरी – 25 किमी
12. जिला का नाम – टिहरी गढवाल मुख्यालय से दूरी – 55 किमी
13. विधान सभा क्षेत्र की संख्या एवं नाम – 09 घनसाली
14. समुद्र तल से ऊचॉई (1) मीटर में–1200 लगभग
    (1 मीटर = 3.281 फीट) (2) फीट में–3937
15. स्थापना के समय स्वीकृत शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों के नाम एवं संख्या –474/उ0शि0/2002–03(42)2002 दि019.09.2003 तथा 163/XXIV(7)/2006&3(42) 2002 दि0 17.06.2006
16. वर्तमान स्थिति 31.07.2022 की स्थितिनुसार स्वीकृत विषय – 07 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, राज0विज्ञान)
17. विषय जिनमें स्थाई सम्वद्धता प्राप्त हो चुकी है – स्नातक स्तर– 07 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, राज0विज्ञान)
    राजाज्ञा संख्या–3011/जी0एस0/शिक्षा/सम्बद्धता/2007 देहरादून दि0 27.02.2008
    स्नातकोत्तर स्तर – लागू नही।
18. (1) स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम की सूचना (सम्बद्धता अवधि सहित) – लागू नही।
    (2) नियामक संस्था का नाम एवं अनुमति पत्र संख्या एवं दिनांक – लागू नही।
19. महाविद्यालय की अक्षांशीय स्थिति – 30.36 उत्तरी अक्षांश तथा 78.58 पूर्वी देशान्तर है।

सम्बद्धता

राजकीय महाविद्यालय पौखाल में स्नातक कला संकाय पर श्रीदेव सुमन वि0वि0 बादशाहीथौल एवं उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी, नैनीताल उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत नियम/आदेश/निर्देश प्रभावी होते हैं।

महाविद्यालय के उद्देश्य

1. पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्रों एवं ग्रामीण अंचल के छात्र/छात्राओं को रोजगार हेतु प्रेरित के साथ ही उनके सर्वांगीण विकास में योगदान देना।
2. छात्र/छात्राओं के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से सफल बनाना तथा छात्र/छात्राओं का सर्वांगीण विकास करना।
3. महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास में सहयोग देना।
4. स्थानीय स्तर पर पर्यावरण, स्वच्छता, सामाजिक जागरूकता आदि कार्यक्रमों के प्रति स्थानीय जन भागीदारी बढ़ाना।
5. महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने एवं छात्र/छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए शास्ता मंडल (प्रॉक्टोरियल बोर्ड), छात्रसंघ, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) और विभागीय परिषदों के द्वारा विशेष योगदान दिया जाना।
6. पूर्व–छात्र परिषद एवं वर्तमान छात्रों के सहयोग से महाविद्यालय के विकास के लिये प्रयास करना।
7. कैरियर के प्रति जागरुक करना।
8. महाविद्यालय मे संचालित कैरियर प्लेस्मेंट सेल द्वारा छात्र/छात्रओं को आगामी प्रतियोगिताओ एवं भर्तीयों हेतु पशिक्षण उपलब्ध करवाना।

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश
(Important Instruction for Admission)

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम/कार्यक्रम में आवेदन के इच्छुक आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपनी रूचि के विषय चुनने और आवेदन पत्र भरने से पूर्व सभी प्रवेश नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ लें।
2. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी0सी0), चरित्र प्रमाण–पत्र, प्रवजन प्रमाण–पत्र मूल रूप से लगाना आवश्यक है। अन्य प्रमाण–पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जायेगी।
3. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं मूल प्रमाण पत्रों सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अंकतालिकाओं तथा खेल एवम् अन्य प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपियां लगाई जानी आवश्यक हैं।
4. प्रवेश मिलने के पश्चात सामान्यतः विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। परन्तु सीटों की उपलब्धता होने पर ही प्रवेश समिति, प्रवेश तिथि की समाप्ति के 10 दिनों के अन्तर्गत केवल एक विषय परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र स्वीकार करेगी।
5. अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से पूर्व तक प्रवेश आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात किसी प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र को वार्षिक शुल्क, छः माह का शिक्षण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क आदि जमा करना होगा। प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात निर्धारित अवधि में परीक्षा फार्म भरकर प्राचार्य/निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
7. विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान को बिना कारण बतायें किसी भी आवेदक को प्रवेश लेने हेतु मना कर सकता है या उसका प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर सकता है।
8. प्रत्येक छात्र को प्रवेश के लिए अंतिम अधिसूचित तिथि से पूर्व तक एकमुश्त वार्षिक शुल्क जमा कराना होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी की प्रवेश स्वीकृति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।

9. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी/भाई/बहिन को) यदि वे अर्ह हों तो स्नातक स्तर पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
11. निर्धारित सक्षम अधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण प्रत्रों पर ही प्रवेश समिति द्वारा विचार किया जायेगा।
12. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. अतिरिक्त अंक से संबंधित प्रमाण–पत्र के क्रमांक का उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि प्रमाण–पत्र में क्रमांक अंकित नहीं है तो इसकी जगह NA का उल्लेख करना अनिवार्य है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम सत्र 2022–23

(Admission Rules)

निम्न नियम सभी कक्षाओं पर लागू होगें

1. स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए महाविद्यालय प्रवेश समितियों का गठन करेगें, जो अलग–अलग वर्षों में प्रवेश सम्बन्धी कार्यों का दायित्व पूर्ण करेगें। कक्षाओं में प्रवेश के लिए उक्त समिति और प्राचार्य का निर्णय अंतिम होगा।
2. समितियों की विधिवत् गठन की सूचना प्राचार्य/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय को भी प्रेषित करेंगे।
3. कला संकाय में प्रवेश के लिए न्यून्तम 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट देय होगी।
4. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडें वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या–1144/क्रामिक–2–2001–53(1)/2001 द्वारा निर्धारित निति के अनुसार अनुमन्य होगी।
5. स्नातक कक्षाओं में इण्टर के विषयों में ही प्रवेश दिया जायेगा।
6. संस्थागत परीक्षार्थी पूर्व संस्था के प्राचार्य का तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी किसी राजपत्रित अधिकारी, लोकसभा/विधानसभा के सदस्य अथवा किसी महाविद्यालय के प्राचार्य/नियंन्ता द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
7. माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तथा भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में स्नातक कक्षाओं में **पर्यावरण अध्ययन** अनिवार्य विषय के रूप में प्रारम्भ किया जा चुका है। बी0ए0 प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थी अन्य तीन विषयों के साथ पर्यावरण विषय का अध्ययन भी करेंगें, जो कि उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
8. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को प्रवेश समिति/प्राचार्य के समक्ष समस्त शैक्षिक/शिक्षणेत्तर एवं अधिमानी अर्हता के मूल प्रमाण पत्रों सहित स्वयं उपस्थित होना होगा, ताकि उसके छाया चित्र एवंम् प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सके।
9. इस विश्वविद्यालय एवं किसी अन्य विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी कक्षा एवम् संकाय में प्रवेष नहीं दिया जायेगा। इस विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्राप–आउट भूतपूर्व छात्र उसी कक्षा की सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। ड्राप–आउट से तात्पर्य है कि छात्र द्वारा विधिवत प्रवेश लेने के पश्चात पूरे सत्र अध्ययन किया गया हो परीक्षा आवेदन–पत्र भरा हो, और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मलित न हुआ हो।
10. स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों का अनुत्तीर्ण होने अथवा चिकित्सा के आधार पर या अन्य वैध कारण पर केवल एक बार संकाय बदल कर प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश लेने से पूर्व प्रत्येक छात्र को स्थानान्तरण प्रमाण पत्र/प्रवजन प्रमाण पत्र एवम् चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. छात्र/छात्राओं को स्नातक स्तर पर छः (6) वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर चार (4) वर्ष तक ही संस्थागत विद्यार्थी के रूप में अध्ययन करने की सुविधा रहेगी जिसमें एक वर्ष का गैप भी सम्मिलित रहेगा। केवल वे ही छात्र भूतपूर्व छात्र का लाभ ले सकेगें जिन्होनें पूरे समय अध्ययन किया हो अथवा विष्वविद्यालय द्वारा प्रवेश पत्र/अनुक्रमांक दिया गया हो और वह चिकित्सा के आधार पर आवेदन करता हो।

12. जिन छात्रों की गतिविधियां नियन्ता मण्डल/प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से रोका जा सकता है, अथवा निकाला जा सकता है या उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा दण्डित अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
13. नियमानुसार अनुचित साधन के अन्तर्गत दण्डित छात्रों को प्रवेश नही दिया जायेगा।
14. प्रवेश के अन्तिम तिथि के बाद अविचारित आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेगें।
15. प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित करने के पश्चात यदि कोई प्रवेश दिया जाता है तो वह अवैध होगा। 15 दिन के भीतर सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित की जानी होगी।
16. छात्र/छात्रा के शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र में भी आंवटित विषय का उल्लेख किया जायेगा।
17. जिन प्रवेशार्थियों को प्रवेश समिति/संकायाध्यक्ष/प्राचार्य प्रवेश प्रदान करेगें उनकी सूचना समय–समय पर सम्बन्धित विषयों के विभागाध्यक्षों को दी जायेगी, इन्हीं सूचियों के आधार पर विभिन्न विभागों की छात्र उपस्थिति पंजिका में छात्र/छात्राओं के नाम पंजीकृत किये जायेगें।
18. संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा, और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई छात्र/छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।
19. छात्र/छात्राओं द्वारा जमा की गई प्रतिभूति धनराशि उसके उत्तीर्ण होने के एक वर्ष तक ही सुरक्षित रखी जायेगी, तदुपरान्त वह निरस्त समझी जायेगी।
20. उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश के पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. **रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को निष्कासित कर दिया जाएगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी को एन्टी रैगिंग वेबसाइट पर (antiragging.in) एंटी रैगिंग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रति Email- gdcpaukhal.info@gmail.com पर महाविद्यालय को मेल द्वारा जमा/भेजना होगा।**
22. प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। बशर्ते कि इन्होंने निर्धारित तिथि तक प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।
23. राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से (10+2) इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह हैं। बशर्ते कि 10वीं के बाद दो वर्ष का अन्तराल तथा पांच विषय हों साथ ही अभ्यर्थी को किसी राजपत्रित /सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
24. स्नातक स्तर पर विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु सीटों का निर्धारण विष्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
25. दो वर्ष से अधिक गैप के पश्चात प्रवेश नहीं मिलेगा यदि अभ्यर्थी ने किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के पश्चात किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो और उसकी परीक्षा भी दी हो तो उस अवधि को गैप नहीं माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक 6 वर्ष तथा स्नातकोत्तर 4 वर्षो में उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। उक्त अवधि सुनिश्चित करने पर ही अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा।
26. प्रवेश समिति/प्राचार्य द्वारा प्रवेश हेतु संस्तुति प्रदान करने के उपरान्त प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने की दशा में प्रवेशार्थी का आवेदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा। ऐसे प्रवेशार्थियों को प्रवेश देने सम्बन्धी निर्णय पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त विश्वविद्यालय के अनुमोदन एवं सम्बन्धित विषय/संकाय में रिक्त सीटों की उपलब्धता होने की दशा में विचार किया जायेगा।

रैगिंग रोकथाम विषयक

महाविद्यालय में रैगिंग की समस्या के नियंत्रण हेतु यू0जी0सी0 के नियम अपने परिसर में रैगिंग के प्रभावशाली रोकथाम हेतु महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों मार्च, 2009 तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में पत्र सं0–310/04 एस0आई0ए0 दिनांक 26 फरवरी, 2009 तथा 17 मार्च, 2009 को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित प्रावधान किये हैं।

रैगिंग से सम्बन्धित अभिप्राय है :–

Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, Treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which Causes of is likely to cause embarrassment, annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform Something which such students will not in the ordinary course do or perform and which has the effect of Causing or generating a sense of shame or so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. Any of the above acts committed by any student of the same or junior or senior class shall be deemed to be ragging.

1. रैगिंग के लिये उकसाना
2. रैगिंग के लिये अपराध षडयंत्र
3. रैगिंग हेतु गैर कानूनी सभा एवं दंगा करना।
4. रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना।
5. रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन।
6. रैगिग शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट।
7. अनुचित रूप से प्रतिबन्धित करना।
8. आपराधिक बल का प्रयोग करना।
9. साथ ही आक्रमण अथवा यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध।
10. जबरन वसूली।
11. आपराधिक अतिक्रमण।
12. सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध।
13. रैगिंग की परिभाषा से जनित समस्त अपराध।

दण्ड :

महाविद्यालय की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गम्भीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गए व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में से एक अथवा उसका समूह हो सकता है।

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा से निलम्बन।
3. छात्रवृत्ति एवं अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
4. किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करनां
5. किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव का प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
6. निरस्तीकरण।
7. संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरान्त अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
8. 25000/– का जुर्माना।
9. जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाए तब सम्भावित रैगिंग कर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामुहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

महाविद्यालय द्वारा निर्गत आन्तरिक परीक्षा (Internal Exam) समय सारिणी के अनुसार ही सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। जो परीक्षार्थी आन्तरिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगा उन्हें विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के लिए महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त छात्र–छात्राओं को पूर्णतः अनुशासित रहकर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिनियमों, सावधि, अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य निर्देशों का सम्यक पालन करना होगा तथा वे किसी भी अवांछनीय अथवा असामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। उक्त की अवहेलना करने पर उन्हें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार निष्कासित अथवा दण्डित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा। नियंता/शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। नियंता/शास्ता मण्डल का संयोजक मुख्य नियंता/शास्ता ;बैपमच्तवबजवतद्ध होता है। महाविद्यालय के समस्त

प्राध्यापक नियंता/शास्ता मण्डल के सदस्य होंगे। नियंता/शास्ता मण्डल द्वारा समय–समय पर बनाये गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिए अनिवार्य है। अनुचित आचरण करने/नियमों का उल्लंघन करने पर नियंता/शास्ता मण्डल सम्बन्धित अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में अभ्यर्थी किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न लें और न ही बल प्रयोग करें। यदि कोई शिकायत हो तो प्राचार्य/नियंता/शास्ता मण्डल को लिखित सूचना दें। ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

मुख्य अपराध :

1. महाविद्यालय में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का वचन एवं कर्म द्वारा निरादर करना।
2. महाविद्यालय में आये किसी भी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण व कार्यालयी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शांति व्यवस्था एवं अनुशासन को हानि पहुंचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. परिसर में किसी राजनैतिक या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार।
7. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण–पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना।
8. बिना अनुमति महाविद्यालय परिसर में लाउडस्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग।
9. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थों को रखना एवं वितरण।

निषेध :–

1. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना या गंदा करना और उन पर विज्ञापन इश्तहार लगाना।
3. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई, झगड़ा–मारपीट, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना, बाहरी व्यक्तियों को परिसर में लाना।
4. महाविद्यालय परिसर में च्युइंगम चबाना, पान मसाला खाना।
5. कक्षाओं में मोबाईल फोन का प्रयोग करना।
6. महाविद्यालय में अधिकारी/नियंता/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा परिचय पत्र मांगने पर दिखाने से इनकार करना। जो भी विद्यार्थी उक्त अपराध एवं निशेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलंबित, अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।

पाठ्य सहगामी क्रिया कलाप

1. क्रीडा परिषद (Sports Council)

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य के साथ–साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जाता है।जिसमें समस्त छात्र/छात्राओं के लिए खेलों में भाग लेने का प्रावधान है। प्रतिवर्ष श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय क्रीडा कैलेण्डर के माध्यम से विभिन्न खेलों का कार्यक्रम घोषित करता है। विश्वविद्यालय में होने वाले कुछ खेल महाविद्यालय भी संचालित करता है। प्रशिक्षित टीम विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेती है।

2. राष्ट्रीय सेवा योजन (NSS) :

महाविद्यालय में रा.से.यो. की एक यूनिट के अन्तर्गत 100 विद्यार्थियों को पंजीकृत किया जाता है। इस येजना के अन्तर्गत लगातार दो शिक्षण सत्रों में 240 घण्टे नियमित कार्य करना होता है। नियमित कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रत्येक स्वयं सेवी को कम–से–कम एक सात दिवसीय विशेष (रात–दिन) शिविर में भाग लेना अनिवार्य है। नियमित कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण विकास, प्रौढ़ शिक्षा, परिवार कल्याण, मद्य निषेध, एड्स जागरूकता, स्पर्शगंगा अभियान, रक्तदान जागरूकता रैली आदि राष्ट्रीय महत्व के क्रिया कलाप आयोजित किये

जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्राएं केवल दो शिक्षण सत्रों (स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष) में पंजीकरण करा सकते हैं।

3. विभागीय परिषद् (Departmental Council) :

महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय की एक विभागीय परिषद् होती हैं उस विषय को पढ़ने वाले समस्त छात्र/छात्राऐं उस परिषद् के सदस्य होते हैं। जिसमें भौतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी सम्पन्न किये जाते हैं।

4. सांस्कृतिक परिषद् (Cultural Council) :

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं में नाट्य, नृत्य एवं लोक–कलाओं के विकास तथा प्रस्तुतिकरण आदि कार्य महाविद्यालय सांस्कृतिक परिषद् करती है।

5. महाविद्यालय–पत्रिका (College Magazine) :

महाविद्यालय की पत्रिका का प्रकाशन आगामी सत्र से प्रकाशित करने का प्रस्ताव है, पत्रिका का उद्देश्य छात्र/छात्राओं की लेखन प्रतिभा एवं रचनात्मक प्रतिभा का विकास करना है। छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे पत्रिका में प्रकाशन हेतु एक मौलिक, स्वरचित और आकर्षक रचना पहले से तैयार रखें।

6. महाविद्यालय कैरियर काउन्सिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल :–

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के रोजगार पर मार्गदर्शन अतः विषय चयन में सहायता देने हेतु महाविद्यालय कैरियर काउन्सिलिंग एवं प्लेसमेंट सेल कार्यरत है। इस सेल में विषय चयन मार्गदर्शन के साथ छात्र/छात्राओं के व्यक्तिगत क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

7. एडूसेट केन्द्र (EDUSAT) :

महाविद्यालय में उत्तराखण्ड अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रमों के आधार पर एडूसेट केन्द्र की स्थापना भी की गई है। इसमें सेटेलाइट प्रणाली के माध्यम से विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वाार व्याख्यानों का लाभ इस केन्द्र से छात्र/छात्राएं लेते हैं।

8. महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ (Women Cell) :

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में महिलाओं के उत्पीड़न के रोकथाम हेतु महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। उक्त समिति महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना संज्ञान में लेती है एवं कार्यवाही करती है।

9. आपदा प्रबन्धन समिति (Disaster Management Committee) :

महाविद्यालय में आपदा प्रबन्धन समिति का भी गठन किया गया है जो छात्र/छात्राओं को एन0एस0एस0 एवं अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आपदा प्रबन्धन एवं बचाव हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करती है।

10. एंटीरैगिंग प्रकोष्ठ (Antiragging Cell) :

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार महाविद्यालय में रैगिंग विरोधी समिति गठित की गई जो रैगिग जैसी अमानवीय, असामाजिक एवं आपराधिक कृत्य पर अपराधी को दण्डित करना सुनिश्चत करती है। दोषी पाये जाने पर अपराध की गम्भीरता के अनुसार विद्यार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

11. धूम्रपान निषेध प्रकोष्ठ (Smoking Prohibition) :

शासन के आदेश सं0 166/XXXIV(6)/2010 दिनांक 06 मई 2010 जिसके द्वारा धूम्रपान प्रतिबन्धित किया गया है, के अनुपालन में महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है परिसर में धूम्रपान पूर्णतः निषेध है।

12. पूर्वछात्र संगठन (Alumni Association) :

वर्ष 2017–18 से महाविद्यालय के हित में पूर्वछात्र संगठन का गठन किया गया है। महाविद्यालय में प्रवेश करने वाले छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि यदि उनके बड़े भाई–बहन अथवा सम्बन्धी इस महाविद्यालय के छात्र/छात्रा रहे हों तथा विभिन्न विभागों में कार्यरत हों तो इसकी सूचना महाविद्यालय से निर्धारित प्रपत्र प्राप्त करने के पश्चात् भर कर कार्यालय में जमा करेंगे।

13. शिक्षक अभिभावक संघ (PTA) :

वर्ष 2017–18 से महाविद्यालय के हित में शिक्षक अभिभावक संघ का गठन किया गया। प्रत्येक सत्र में महाविद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ का गठन महाविद्यालय के विकास में अभिभावकों का योगदान प्राप्त करने के लिए किया गया है। सत्र के दौरान समय–समय पर अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक आयोजित कर महाविद्यालय की समस्याओं का समाधान किया जाता है।

14. छात्र–संघ (Studnet Union) :

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश सं0 S.L.P. (CIVIL) No. 24295/2004/ fnukad 24–06–2004 जो महाधिवक्ता, भारत सरकार के पत्र सं0–4240 दिनांक 23–10–2006 द्वारा अधिसूचित एवं शिक्षा सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेश सं0 184/xxiv(6)/200,3(168)2001 दिनांक 27–02–2007 से प्रेषित व्यवस्थाओं को विश्वविद्यालय पर लागू करने के सम्बन्ध में है जो महाविद्यालय में भी निम्नवत् लागू हैं। प्रत्येक वर्ष सत्र प्रारम्भ की तिथि से छः से आठ सप्ताह के अन्तर्गत संस्था स्तर पर छात्र–संघ चुनाव कराना आवश्यक होगा। सभी स्तरों के छात्र निकायों पर बी0ए0 कक्षाओं तक 17–22 वर्ष की आयु सीमा लागू होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी, पदाधिकारी निर्वाचन हेतु केवल एक बार तथा कार्यकारिणी सदस्या निर्वाचन होने हेतु दो बार चुनाव लड़ सकेगा। समस्त व्यवस्थाएं लिंगदोह समिति/उच्चतम न्यायालय तथा उत्तराखण्ड शासन का उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार होगी, साथ ही चुनाव आचार–संहिता एव नियमावली का उल्लंघन करने वाले छात्र प्रतिनिधियों को पद्च्युत भी किया जा सकेगा।

15. परिचय – पत्र (Identity Card) :

महाविद्यालय में संस्था के प्रमाणित छात्र/छात्रा होने के लिए प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपने पास परिचय–पत्र रखना अति आवश्यक होगा। यदि अनुशासन मण्डल का कोई सदस्य परिचय पत्र दिखाने को कहता है, और उस समय विद्यार्थी ने परिचय–पत्र नहीं दिखाया तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जाएगा। अतः परिचय–पत्र को विद्यार्थी सदैव महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखे। परिचय–पत्र खो जाने पर उसकी सूचना विद्यार्थी मुख्य शास्ता को दे तथा उनकी संस्तुति के आधार पर ही विद्यार्थी को शुल्क रसीद दिखाकर निर्धारित शुल्क जमा करने पर दूसरी प्रति निर्गत की जाएगी। अतः विद्यार्थी को शुल्क रसीद भली प्रकार सुरक्षित रखनी चाहिए।

16. छात्र–क्लब (Student Club) :

महाविद्यालय में नूतन छात्र क्लब का गठन किया गया।

1– स्पोर्टस क्लब
2– सांस्कृतिक क्लब
3– साहित्यिक क्लब
4– डिवेट क्लब

छात्रवृत्तियाँ (Scholarship)

विद्यार्थियों की जानकारी के लिए प्रमुख छात्रवृत्तियों एवं अनुदानों का विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं सूचना समय–समय पर सूचना पट्ट पर दी जाती है। अतः छात्र–छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना पढ़कर यथासमय तदनुसार कार्यवाही करें।

शासनादेश संख्या 2097/**XVII**–4/2014 दिनांक 14 नवम्बर 2014 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रकरणों का त्वरित तथा पारदर्शिता के साथ निराकरण करने के उद्देश्य से वर्ष 2015–16 से 'आन लाइन' छात्रवृत्ति की योजना लागू कर दी गई हैं जिसमें समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट **www.escholarship.uk.gov.in**पर छात्र/छात्रा को अपना पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के उपरान्त छात्र को, उसे भविष्य के अपने सभी छात्रवृत्ति आवेदनों हेतु एक यूजक आई0डी0 एवं पासवर्ड एस0एम0एस0/ई–मेल के माध्यम से प्राप्त होगा। इस प्राप्त हुए यूजर आई.डी. से छात्र कहीं से भी नियत अन्तिम तिथि से पहले अपने शिक्षण संस्थान को अपने छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। इस हेतु नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण–पत्र, हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र, अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा का अंक का IFSC कोड स्पष्ट रूप से दर्ज हों, उसे अपलोड करना आवश्यक होगा। संबंधित छात्र द्वारा आनलाईन फीड किये गये आवेदन–पत्र का एक प्रिन्ट–आउट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर सभी दस्तावेजों की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ अपने शिक्षण संस्थान में नियत अन्तिम तिथि से पहले प्रस्तुत करना होगा। छात्र अपने भरे हुये आवेदन–पत्र का एक प्रिन्ट आउट निकालकर अपने संदर्भ हेतु अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। छात्रवृत्ति हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों की गलत जानकारी देने अथवा फर्जी पाये जाने पर उसके विरुद्ध विधि/सम्मत कार्यवाही की जायेगी। छात्र/छात्रा

को नियत तिथि तक आनलाईन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा इसके बाद प्राप्त आवेदन–पत्र साफ्टवेयर में फीड नहीं किये जा सकेंगे।

1–अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति एवं विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति :–

यह छात्रवृत्ति निर्धारित शासनादेशों के अनुरूप जिला समाज कल्याण विभाग से प्रदान की जाती है। छात्रों को छात्रवृत्ति का आवेदन(Online)करना होता है तथा उसकी 01 प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होती है। आवेदकों के माता/पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय निम्नांकित से अधिक नहीं होनी चाहिए–

1. SC/ST/OBC के अभिभावकों हेतु – 02 लाख 50 हजार वार्षिक

राजकीय महाविद्यालय पौखाल, टिहरी गढ़वाल।

शुल्क चार्ट सत्र 2022–23

क्र0सं0	मद का नाम	प्रयोगात्मक विषय के साथ शुल्क	बिना प्रयोगात्मक विषय के शुल्क
01	प्रवेश	03	03
02	शिक्षण	–	–
03	पंखा	05	05
04	प्रयोगशाला	240	–
05	पुस्तकालय	03	03
06	महगांई	240	240
07	विकास	20	20
08	कैरियर काउंसलिंग	30	30
09	क्रीड़ा	120	120
10	सांस्कृतिक	50	50
11	वाचनालय	30	30
12	पत्रिका	50	50
13	प्रसाधन	50	50
14	निर्धन छात्र सहायता	10	10
15	विद्युत/जल अनुरक्षण	60	60
16	जैनरेटर/इन्वर्टर	50	50
17	कम्प्यूटर अनुरक्षण	70	70
18	छात्र संघ	50	50
19	प्रयोगशाला अनुरक्षण	60	–
20	परिचय पत्र	25	25
21	शिक्षक अभिभावक संघ	30	30
22	प्रांगण विकास	20	20
23	महाविद्यालय दिवस	20	20
24	विभागीय परिषद	50	50
25	विविध	100	100
	योग	1386/–	1086/–

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/प्राध्यापक सूची
डॉ0 अवधेश नारायण सिंह (प्राचार्य)

प्राध्यापक वर्ग

क्र0सं0	नाम	पद नाम	महाविद्यालय में कार्यावधि
01	डॉ0 अवधेश नारायण सिंह	प्राचार्य	06.07.2020 से अद्यतन
02	डॉ0 सन्दीप कुमार	असि0 प्रो0 समाजशास्त्र	01.10.2014 से अद्यतन
03	डॉ0 संजीव प्रसाद भट्ट	असि0 प्रो0 संस्कृत	23.07.2016 से अद्यतन
04	डॉ0 बालक राम भद्री	असि0 प्रो0 हिन्दी	23.07.2016 से अद्यतन
05	डॉ0 मीनाक्षी वर्मा	असि0 प्रो0 भूगोल	03.01.2017 से अद्यतन
06	डॉ0 अन्धरुती शाह	असि0 प्रो0 अंग्रेजी	21.06.2019 से अद्यतन
07	डॉ0 अनुरोध प्रभाकर	असि0 प्रो0 अर्थशास्त्र	01.03.2021 से अद्यतन
08	संतोषी	असि0 प्रो0 राजनीति वि0	29.06.2021 से अद्यतन

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सूची

कर्मचारी वर्ग

क्र0सं0	नाम	पद नाम	नियुक्ति का प्रकार
01	श्री राजेन्द्र सिंह	चतुर्थ श्रेणी	नियमित
02	श्री अनिल सिंह रावत	चतुर्थ श्रेणी	उपनल
03	श्री गम्भीर सिंह	चतुर्थ श्रेणी	उपनल
04	श्री राजपाल सिंह	चतुर्थ श्रेणी	उपनल
05	श्री रोशन दास	चतुर्थ श्रेणी	उपनल
06	श्री उत्तम सिंह	चतुर्थ श्रेणी	उपनल
07	श्रीमती कुसुम देवी	प्रयोगशाला सहा0	उपनल
08	श्री मनोज राणा	पुस्तकालय सहा0	उपनल

शपथ पत्र
(केवल अभिभावक/माता/पिता द्वारा भरा जायेगा)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती..... ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2. मैं विश्वास दिलाता/दिलाती हूं कि मेरे पुत्र/पुत्री/संरक्षित..... रैगिंग के किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होगा।

3. मैं सहमति देता/देती हूं कि यदि उसे रैगिंग में लिप्त पाया गया तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरूद्ध) एवं तत्समय लागू विधि व्यवस्था के अधीन दण्डित किया जाये।

हस्ताक्षर.....दिन.....माह.....वर्ष.....

शपथ पत्र
(छात्र/छात्रा द्वारा भरा जायेगा)

1. मैं.....पुत्र/पुत्री/श्री/श्रीमती..... ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय /राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को भली–भांति पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।

2. मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रति प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।

3. मैं एततद्वारा घोषणा करता/करती हूं– मैं ऐसे किसी कृत्य व्यवहार में सम्मिलित नहीं होऊंगा/होऊंगी जो रैगिंग की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो। मैं किसी भी रूप में रैगिंग में लिप्त नही होऊंगा/होऊंगी। उसे प्रोत्साहित अथवा प्रचारित नहीं करूंगा/करूंगी अथवा अन्य कोई क्षति नहीं पहुंचाउंगा/पहुंचाउगी।

हस्ताक्षर.....दिन.....माह.....वर्ष.....

नाम व पता.....

छात्र/छात्रा का शपथ पत्र
(स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति से सम्बन्धी)

जनहित रिट याचिका संख्या 164/2013 दौलतराम सेमवाल बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु मैं शपथ लेता/लेती हूं कि मैं नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहूंगा/रहूंगी। विश्वविद्यालय नियमानुसार कक्षाओं में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने की दशा में महाविद्यालय प्रशासन यदि मुझे परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित करता हू तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

हस्ताक्षर

नाम.....

कक्षा.....

मोबाइल नं0.....

राजकीय महाविद्यालय पौखाल टिहरी गढ़वाल